

मीआदसे खारिज समझी जाती है परंतु डिगरीदार को यह इख्तियार होता है कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमें कर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ता है क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का खर्चा दूसरी दफे देना पड़ता है इसलिये यह क्रायदा अब रद्द किया जाता है और जो डिगरी मीआद से खारिज हो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक्रहमा सुना जायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाक़ेसे बाहर चले जानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाई जावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदालतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरी दी हो दूसरी दफा नालिश करसकता है ॥

दफा (४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इख्तियार के अंदर वो सब मुक्रहमे सुने वो फ़ैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसी मुआहिदे या नुक्रसान हक़पर हो परंतु जो मुक्रहमे भलसनुसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुने जायंगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसे मकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुखतारकी जो कोई हो-होनी चाहिये और उसमें नीचे लिखी हुई बातें भी लिखी जानी चाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्वत भी जहांतक मुमकिन वो मालूमहों येही बातें लिखी जानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मक़दमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और झगड़े की सूरत जो उस वक्तहो ॥

(५) जो दस्तावेजें और हिसाब की नक़ल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाखिल होनी चाहिये ॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तरुदीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तरुदीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैं जानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी रायमें मुद्दईका

नाम बापका नामजात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक्तभी साफलिखाजावे॥

दफा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या कागज़ जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहिये एक मुद्दाअल्लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्दाअल्लेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहिये ॥

दफा (१५) जो बनेतोसम्मन मुद्दाअल्लेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दाअल्लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिगनहो ॥

दफा(१६) जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्दाअल्लेहरियासतमेंमौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूँढनेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअनामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़द्दमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दाअल्लेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

रुखास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीद-
ररुखास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा-
खिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे ज़ियादा
काहो तोएकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को
मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ़ा(२०)जोमुद्दई हाज़िरहो और मुद्दआअलेह नहीं
आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक़दमाएकतरफ़ी
फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसवातकोनि-
श्चय करले कि मुक़दमे के सुननेकी तारीख़की इत्तिला-
अ मुद्दआअलेहको होगई अगरज़रूरतहोतो ऐसी डिगरी
में मदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें गौरहोसकताहै ॥

दफ़ा (२१) जो अदालत किसी कारणसे मुनासि-
ब समझे तो मुक़दमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन
मुक़रर करके मुद्दआअलेह को इत्तिलाअदेसकती है परंतु
मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाअ देनी चाहिये ॥

दफ़ा (२२) तारीख़ मुक़ररह पर जब फ़रीक़ेन हा-
ज़िर होजावें तो अरज़ीदावा मुद्दआअलेह को पढ़कर
सुनायाजावे और उससे हलफ़न् पूछाजाय कि उसको
मुद्दईके दावेसे इनकार है या इक़वाल जो इक़वाल हों
तो ज़ियादह तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत नहीं सिफ़ दो

इनकारी मुशकिल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शख्स एक बात पेश करे और दूसरा उससे इनकार करे तो अब्बल शख्स पर कि जो फौसला कराना चाहे उस अम्रका साबित कर देना लाज़िम है ॥

दफा (२७) अम्रतनूक्रीहतलब करार देने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुकदमे के बरखिलाफ़ हो न होने पावे लेकिन ऐसा मौक़ा जरूर देना चाहिये कि जिससे मुकदमे की असलियत व हक़ीक़त दरियाफ़्त करने में मदद मिले ॥

दफा (२८) जो सबूत तहरीरी बिना यदावे से तअल्लुक रखता है वो मुकदमा दायर होते ही शामिल मिसल हो जाना चाहिये फिर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लिया जावे और हर एक कागज़ पर जो मिसल में शामिल हो नम्बर और अनवान मुकदमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहिये ॥

दफा (२९) नीचे लिखी हुई दस्तावेज़ें बिला ख़ास हुक्म महक्मे ख़ासके सम्मतमें न लीजावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुना जावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाज़िमी है और

दरजे के सबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-
आअलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अपसर के
मारफ़त बुलाये जायंगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुके तो अदालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व गौर करने
के बाद मुक़दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैनकोइतिलाअ
देदे और जो फिर कोई बात दरियाफ़त तलब बाक़ीरह-
जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़रर करदे ॥

दफ़ा(३४)जोअदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन
कीदरख़्वास्त पर या विला उनकी दरख़्वास्त के नीचे
लिखी हुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुक़रर करसकी है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्बत ख़ास या
आमतौर पर हिदायत करसकी है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकीराय हस्व मशायअदालत लजावे
या नहीं ॥

दफा (३७) जो फरीक़ैन आपसमें फ़ैसलाकर के अदालतको इतिलानदें तो अदालतको इख्तियारहोगा कि जिस फरीक़का कुसूरहो उसपर या दोनोंफरीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसकी है ॥

दफा (३८) जो फरीक़ैन चाहै कि मुक़दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फरीक़ैन से एक शख्स या हरएक फरीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाफ़त करके उनसे इकरारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंज़ूरवो क़बूलहोगा ऐसा इकरारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़दमे को इकरारनामेमें लिखीहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्दकरदे ॥

दफा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफरीक़ैनको मंज़ूर करनापड़ेगा ॥

दफा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िल होनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफरीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी कि जेकिसीफरीक़को किसीपंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसाबितकरनीहो तो उसमोहलतमें करदेजबवोमीआदपूरीहो जावेकैफ़ियतपंचोंकीमंज़ूरकरकेमुक़दमाफ़ैसलकरदेना

दफा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और जात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्दई या मुद्दआअल्लेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्दई मुद्दआअल्लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज़ करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदा करनेवाले सवाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दीजावेगी ॥

दफा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहिये और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१-मुक़दमा का इब्तिदाईहाल २-जो बातें तनूकीह तलब हों ३-तनूकीह तलब का नतीजा मयखुलासे बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४-तजवीज़ अदालत ॥

दफा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क्रिस्तों को और तादाद हरएक क्रिस्तके रुपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअल्लेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़्सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा ॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज़ ख़रचे की अदालतही करेगी ॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़े का रहने वाला हो तो मुक़दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअल्लेह की दाख़िल कराना ज़रूरहै ॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअल्लेहको अख़ीर तजवीज़ से रूबरू इतिलाअदेनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इतिलाअनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइतिलाअपाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें ॥

दफ़ा (५४) जब मुक़दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअल्लेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी कागज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख़ीर की इस शर्त पर कि फ़ैसल लिखाई जो मुक़र्ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुद्दाअल्लेह जमानत नदे तो जो जाय-
दाद मुद्दाअल्लेह की मुद्दई बतलावे वो अखीर हुक्म
होने तक कुर्रक करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फ़ैसले से पहलेकी कुर्रकी में
मुद्दई मुद्दाअल्लेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफिक इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दाअल्लेह का रुपया
बाकी होना जाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-
जमनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन
हो वो रुपया मुद्दाअल्लेहको नदे ॥

दफा (५८) जो मुद्दई अदालतके सामने हलफ़नब-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दाअल्लेह
भागना चाहता है तो अदालत मुद्दाअल्लेहसे हाज़िर
जमानतमांगे और जो मुद्दाअल्लेह नदे तो मुक़दमा
फ़ैसल होने तक मुद्दाअल्लेह हवालात दीवानी में
रक्खा जावे ॥

दफा (५९) जो मुद्दाअल्लेह इसतरह हवालात में
रक्खाजावेगा उसको खूराक मुद्दईसे ली जावेगी और
मुक़दमा फ़ैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रीक़ पर
रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफा (६४) जो मुकद्दमामुद्दईकी अदमपैरवीके सबब से खारिज होजावे तो मुकद्दमेका खरचा मुद्दईसे जिस वक्त उसकी हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फौसला होजाने के सबबसे मुकद्दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फौस मुकर्ररा फौरन मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफा(६५)इजराय डिगरीकी दरख्वास्त उसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्तमें दरख्वास्त देनेवालेको हकरसीकी सूरत साफ़ लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक्कुर्क करना चाहताहै उसकी मुफ़स्सिल फ़ेहरिस्त दाखिलकरे ॥

दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफौसलेसे पहिले की कुर्कीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो अदालत मद्यूनसे ज़मानत मांग सकतीहै औरजोमद्यून ज़मानत दाखिल न करेतो कुर्की जायदाद मनकूला

(१) खेतीके औज़ार-यादूसरेऔज़ार जिनसे मद्यून कमा कर खाताहै—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाजऔरजो अदालत मुनासिब समझे कि हकीकत में करसे के पास खानेकोन था औरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरक़ी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़हबी रसममेंभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौक़े पर फ़सलेसे पहिलेकी कुरक़ी या इजराय डिगरीमें कुरक़ी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२) जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज़ा दिला दिया जावेगा औरजो रहननाममें नक़दरुपया वसूलहोनेकीशर्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकरहकरसीकराईजायगी

दफा (७६) कुलजायदाद गैरमन्कूलाकी क्रीमतका तख्मीनातध्यारक्रियाजावेगा औरजोतरूमिनेकेमुवाफिक क्रीमत नीलाममें नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी जरूरतहो तो तीसरोदफे उस वक्त जो आदमी ज्यादाह क्रीमत लगावे उसके नामपर बोली खतम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकीआखीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिआद दीजायगी जो इस मिआद में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद्द करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकतरी रुपयेके हिसाबसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और खरीदार नीलामने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफा (७८) इस मिआद के गुजरने के बाद खरीदार नीलामको सार्टीफिकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका कब्जा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउजरदार का

तादाद डिगरी	तादाद हवालात
० डिगरी ५०) से ज्यादाहनहो	एक महीना
० डिगरी १००) से ज्यादाहनहो	तीनमहीने
० डिगरी २००) से ज्यादाहनहो	चारमहीने
सरे मुकदमों में	छः महीने

जिसवक्त डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह लिखे जिसकी तादाद ≡) आने रोजसे ज्यादाह न हो अदालतकी तजवीज के मुवाफिक एक महीने की खुराक का काम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले ० डिगरी ५०) से ज्यादाह की हो तो मुद्दईको खुराक का काम फिर भर देने चाहिये नहीं तो मिआद पूरी होने पर मदयून छोड़ दिया जावेगा ॥

दफा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलखानेमें जाजावे तो उसमें क़ैदकी मिआद लिख देनी चाहिये और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका काम नहीं कराया जावेगा ॥

दफा (८४) मदयून उसी डिगरी के वास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजा जायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालकी

दफा (८६) खरचा इजराय डिगरी और खराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिम्मे डाला जायगा ॥

उज़रदारीकुरकी

दफा (६०) उज़रदारी कुरकीकी अर्ज़ी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी औरउसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहकके सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तोएक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीखमुकर्ररकरे उसकी इत्तिलअ डिगरीदार मदयून औरउज़रदार को दीजावेगी और उसकी तहकीकात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामली नालिशकीइसमें उज़रदार मुद्दई और फ़रीकैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनको नहींहैतो कुर्की उठादीजावेगी ॥

दफा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज़रदार मुरतहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा ॥

दफा (६२) उज़रदारी साबित होजावेतोउज़रदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजहोंमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इख्तिथार होगा कि फ़रीक़ेनको बग़ैर बुलाने के दरखास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफीवजह हो तो तारीख़ मुकर्रर करके दूसरे फ़रीक़े को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो जरूरत हो तो मुक़दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहके नीचेकी अदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे खासमेंजो अपीलहो उसकोमौआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मौआदमें नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़जूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तिथार होगा कि फ़रीक़नको बग़ैर बुलाने के दरखास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफीवजह हो तो तारीख़ मुकर्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिक्कली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामूली मुक़दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहकेनीचेकीअदालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैसलेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे खासमेंजो अपीलहो उसकीमीआदफ़ैसलेकीतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की तक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़ज़ूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजुहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तिथार होगा कि फ़री-क़ैनको बग़ैर बुलाने के दरखास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मासू-ली मुक़दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहकेनीचेकीअ-दालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसिलदारी या कोतवालीके फ़ैस-लेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे खासमेंजो अपीलहो उसकीमीआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मोआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़जूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफा (१०२) जो अदालत अपील अदालत मातहतके फौसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अखीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकी इत्तिलाअ के लिये भेजदे ॥

दफा (१०३) जो जरूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात या किसी शकभरी हुई बात या नई तनक़ीह की तहक़ीक़ातके लिये मुक़दमेको अदालत मातहतमें पीछा भेजसकी है ॥

दफा (१०४) अदालत मातहत अदालत अपीलके हुकमों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमें हाज़िरहोनेकी हिदायत करेगी ॥

दफा (१०५) जो अदालत अपीलमें फ़रीक़ैन मुक़दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरखास्त करें या अदालत अपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़दमा रर किये हुये पंचोंके मुक़दमा सिपुर्द किया जासकता है—

दफा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहतके खर्चेकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—
मुतफ़क़ात ॥

दफा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फैसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वोअदालतमह-
कमेखासमें भेजाकरे जो कोई मुकदमा तीन महीने से
जियादह जिरतजवाजरहे तो जिसअदालतमेंऐसा मुकद
मा जिरतजवाजहोवो उसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरै॥

दफा (११३) जब किसी अदालत दीवानीसे जा-
गिरदारके मालको कर्की कीजावे तो उसमें अदालत
मजकूरको महकमेखासकी मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफा (११४) जब मुकदमेकी तहकीक़ात होतेवक्त
कोईजाली कागज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहकी
हलफ़ दरोगी अदालतमेंसाबितहोतोअदालतको इख़्त-
यारहोगा कि जाली कागज़ पेश करनेवाले या हलफ़
दरोगी करनेवालेको अदालत फौजदारीके सिपुर्द करदे
और इसकी इत्तिलाअ महकमेखासमें करे ॥

दफा (११५) जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे
खाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफा (११६) बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस
नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस
की ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अदालत दी-
वानीमें करसकेगा— इति

(घ) अदालत सदरदीवानी—इसको यह इस्तिथार दिया गया है कि खास शाहपुरेके सारे मुकदमे दीवानी दसरूपसे ज़ियादेके और परगने फूलियाके सारे मुकदमे जो तहसीलदारों के इस्तिथारसे बाहिरके हैं तीन हजार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसीलदारोंके फ़ैसलेकी अपील भी यहही अदालत सुनेगी—और चूँकि काछोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अदालतें इसकी मातहत समझी जाती हैं उनकी सम्हाल इसके सिपुर्दकी जाती है और मुकदमोंकी कार्रवाईकेलिये जो हिदायत जारी हों वो भी इस अदालतकी मारफ़त नीचेकी सब अदालतोंमें भेजी जायाकरे ॥

(च) महकमा खास—इस अदालतको इस्तिथार है कि परगने काछोला के पांचसौरूपसे ज़ियादाके और परगने फूलियाके तीनहजारसे ज़ियादाके सब मुकदमे दीवानी के सुनाकरे और काछोलाकी कचहरीके फ़ैसलोंकी जो अपील हों वो सब—और परगने फूलियामें अदालत सदरदीवानीके फ़ैसलेकी अपील यह अदालत सुने—और इस अदालतको यहभी इस्तिथार होगा कि अगर किसी ग़ैर इलाक़ेवाले का कोई मुकदमा या कोई ऐसा मुकदमा जो अदालत सदर दीवानीके सुनने के

मीआदसे खारिज समझी जाती है परंतु डिगरीदार को यह इख्तियार होता है कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमें कर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ता है क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का खर्चा दूसरी दफे देना पड़ता है इसलिये यह क्रायदा अब रद्द किया जाता है और जो डिगरी मीआद से खारिज हो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक्रहमा सुना जायगा कि जब मुद्दई मद्यूनके इलाक़ेसे बाहर चले जानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाई जावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदालतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरी दी हो दूसरी दफा नालिश करसकता है ॥

दफा (४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इख्तियार के अंदर वो सब मुक्रहमे सुने वो फैसल करेगी जिनकी बुनियाद किसी मुआहिदे या नुकसान हकपर हो परंतु जो मुक्रहमे भलसन्नसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुने जायगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसे मकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुखतारकी जोकोईहो--होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्वत भी जहांतक मुमकिन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना बसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मुकद्दमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हा और झगड़े की सूरत जो उस वक्तहो ॥

(५) जो दस्तावेजें और हिसाब की नकल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाखिल होनीचाहियो ॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तरुदीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तरुदीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामजात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाजिरीका वक्तभी साफलिखाजावे॥

दफा (१४) सम्मन या कैफियत या कागज़ जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहिये एक मुद्दाअल्लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्दाअल्लेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तखतकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तखत और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफिक होनीचाहिये ॥

दफा (१५) जो बनेतोसम्मन मुद्दाअल्लेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दाअल्लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिगनहो ॥

दफा(१६) जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्दाअल्लेहरियासतमें मौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूंढनेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअ नामा ऐसीभीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाजिर हो और जो न होगा तो मुकद्दमा एकतरफा फौसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दाअल्लेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

रूवास्तद्वै जो दावा पचासरूपयेतक का हो तो ऐसीदरूवास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदाखिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रूपयेसेजिघादाकाहो तोएकरूपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को भुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफा(२०)जोमुद्दई हाजिरहो और मुद्दआअलेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुकदमाएकतरफी कौसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसबातकोनिश्चय करले कि मुकदमे के सुननेकी तारीखकी इत्तिलाअ मुद्दआअलेहको होगई अगरजरूरतहोतो ऐसी डिगरी मेंमदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें गौरहोसकताहै ॥

दफा (२१) जो अदालत किसी कारणसे मुनासिव समझे तो मुकदमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुकर्रर करके मुद्दआअलेह को इत्तिलाअदेसकती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाअ देनी चाहिये ॥

दफा (२२) तारीख मुकर्ररह पर जब फरोकैन हाजिर होजावे तो अरजीदावा मुद्दआअलेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफनू पूछाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इनकार है या इकबाल जो इकबाल हौ तो जिघादह तहकीक़ात करनेकी जरूरत नहीं सिफ़ दो

इन्कारी मुशकिल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शरूस एक बात पेश करे और दूसरा उससे इन्कार करे तो अब्बल शख्स पर कि जो फौसला कराना चाहे उस अश्रका साबित कर देना लाजिम है ॥

दफा (२७) अश्रत नुक्कीहतलब करार देने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुकदमे के बरखिलाफ हो न होने पावे लेकिन ऐसा मौका जरूर देना चाहिये कि जिससे मुकदमे की असलियत व हकीकत दरियाफ्त करने में मदद मिले ॥

दफा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक रखता है वो मुकदमा दायर होते ही शामिल मिसल हो जाना चाहिये फिर बगैर अदालत के हुक्म के न लिया जावे और हर एक कागज़ पर जो मिसल में शामिल हो नम्बर और अनवान मुकदमा और नाम उस फरीक का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तखत होने चाहिये ॥

दफा (२९) नीचे लिखी हुई दस्तावेज़ें बिला खास हुक्म महकमे खासके सम्मतमें न ली जावें याने उनकी वुनियाद पर दावा नहीं सुना जावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाजिमी है और

दरजे के सबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्दा-
आअलेह रिघासत के नौकर हों वो अपने अपसर के
मारफ़त बुलाये जायगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुके तो अदालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व गौर करने
के बाद मुक़दमेकाफ़सला लिखकर फ़रीक़ैनकोइतिलाअ
देदे और जो फिर कोई बात दरिघापत तलब बाक़ीरह-
जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़रर करदे ॥

दफ़ा(३४)जोअदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन
कीदरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे
लिखीहुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़िथादह
आदमियों को कमीशन मुक़रर करसकी है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्वत ख़ास या
आमतौर पर हिदायत करसकी है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकोराय हस्ब मशायअदालत लीजावे
या नहीं ॥

दफ़ा (३७) जो फ़रीक़ैन आपसमें फ़ैसलाकर के अदालतको इत्तिलानदें तो अदालतको इख्तियारहोगा कि जिस फ़रीक़का कुसूरहो उसपर या दोनोंफ़रीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसक्ती है ॥

दफ़ा (३८) जो फ़रीक़ैन चाहै कि मुक़दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फ़रीक़ैन से एक शख़्स या हरएक फ़रीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाफ़त करके उनसे इक्करारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंजू रवो क़बूलहोगा ऐसा इक्करारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़दमे को इक्करारनामेमें लिखीहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्दकरदे ॥

दफ़ा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफ़रीक़ैनको मंज़ूर करनापड़ेगा ॥

दफ़ा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफ़रीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी किजे।किसीफ़रीक़को किसीपंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसाबितकरनीहो तो उसमोहलतमेंकरदेजबवोमीआदपूरीहो जावेकैफ़ियतपंचोंकीमंजू रकरकेमुक़दमाफ़ैसलकरदेना

दफा (४५) हर एक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और ज़ात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्दई या मुद्दआअल्लेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हर एक मुद्दई मुद्दआअल्लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज़ करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदा करनेवाले सवाल करने की इजाज़त हर गिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहिये और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़दमा का इब्तिदाईहाल २—जो बातें तनूकीह तलब हों ३—तनूकीह तलब का नतीजा मयखुलासे बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४—तजवीज़ अदालत ॥

दफा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क्रिस्तोंकी और तादाद हरएक क्रिस्तके रुपयोंकी दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअलेहकी भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़्सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा ॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरतमें तजवीज़ ख़रचेकी अदालतही करेगी ॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़ेका रहनेवाला हो तो मुक़दमा पेशहोनेपर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअलेहकी दाख़िल कराना ज़रूरहै ॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअलेहको अख़ीर तजवीज़से रूबरू इतिलाअदेनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इतिलाअनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइतिलाअपाई फ़रीक़ैनके करालिये जावें ॥

दफ़ा (५४) जब मुक़दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअलेहकी पेश होनेपर अदालतको नक़ल किसी कागज़की जो मिसलमें शामिलहों या हुक़म अख़ीरकी इस शर्तपर कि फ़ैसलिखाई जो मुकर्ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुद्दआअलेह जमानत नदे तो जो जाय-
दाद मुद्दआअलेह की मुद्दई बतलावे वो अखीर हुक्म
होने तक कुर्क करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फौसले से प्रहलेकी कुरकी में
मुद्दई मुद्दआअलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफिक इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके जिम्मे मुद्दआअलेह का रुपया
बाक़ी होना जाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-
जमूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन
हो वो रुपया मुद्दआअलेहको नदे ॥

दफा (५८) जो मुद्दई अदालतके सामने हलफनुब-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दआअलेह
भागना चाहता है तो अदालत मुद्दआअलेहसे हाज़िर
जमानतमांगे और जो मुद्दआअलेह नदे तो मुक्दमा
फौसल होने तक मुद्दआअलेह हवालात दीवानी में
रक्खा जावे ॥

दफा (५९) जो मुद्दआअलेह इसतरह हवालात में
रक्खाजावेगा उसकी खूराक मुद्दईसे ली जावेगी और
मुक्दमा फौसल होनेपर इसका बोझ उस फरीक पर
रहैगा जिसके जिम्मे खरचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफा (६४) जो मुकद्दमामुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से खारिज होजावे तो मुकद्दमेका खरचा मुद्दईसे जिस-वक्त उसकी हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फौसला होजाने के सबबसे मुकद्दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फौस मुकर्ररा फौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफा(६५)इजराय डिगरीकी दरख्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्तमें दरख्वास्त देनेवालेको हकरसीकी सूरत साफ़ लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक्कुर्क करना चाहताहै उसकी मुफ़रिसल फ़हरिस्त दाखिलकरे ॥

दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफौसलेसे पहिले की कुर्कीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे ज़मानत मांग सकतीहै औरजोमद-यूनज़मानत दाखिल न करेतो कुर्की जायदाद मनकूला

(१) खेतीके औज़ार-यादूसरे औज़ार जिनसे मदयून कमा कर खाता है—

(२) मवेशी घाने हलके बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाज और जो अदालत मुनासिब समझे कि हकीकत में करसे के पास खानेकोन था औरदूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरक़ी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक्त हतक़के सिवाय मज़हबी रसममेंभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौक़े पर फ़सलेसे पहिलेकी कुरक़ी या इजराय डिगरीमें कुरक़ी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२) जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्ज़ा दिला दिया जावेगा औरजो रहननाममें नक़दरुपया वसूलहोनेकी शर्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकराई जायगी

दफा (७६) कुलजायदाद गैरमन्कूलाकी क्रीमतका तख्मीनातय्यारकियाजावेगा औरजोतरुमीनेकेमुवाफिक क्रीमत नीलाममें नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी जरूरतहो तो तीसरीदफे उस वक्त जो आदमी ज़्यादाह क्रीमत लगावे उसके नामपर बोली खतम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकीआखीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिआद दीजायगी जो इस मिआद में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकत्री रुपयेके हिसावसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और खरीदार नीलामने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफा (७८) इस मिआद के गुज़रने के बाद खरीदार नीलामको सार्टीफिकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका कब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउज़रदार का

तादाद डिगरी

जो डिगरी ५० से ज्यादाहनहो

जो डिगरी १०० से ज्यादाहनहो

जो डिगरी २०० से ज्यादाहनहो

दूसरे मुकदमों में

तादाद हवालात

एक महीना

तीनमहीने

चारमहीने

छः महीने

जिसवक्त डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद \approx आने रोजसे ज्यादाह न हो अदालतकी तजवीज के मुवाफिक एक महीने की खुराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५० से ज्यादाह की हो तो मुद्दईकी खुराक के दाम फिर भर देने चाहिये नहीं तो मिआद पूरी होने पर मदयून छोड़ दिया जावेगा ॥

दफा (८३) जब वारंटके साथ मदयून जेलखानेमें भेजाजावे तो उसमें कैदकी मिआद लिख देनी चाहिये और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका काम नहीं लिया जावेगा ॥

दफा (८४) मदयून उसी डिगरी के वास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालकी

दफ़ा (८६) खरचा इजराय डिगरी और खराक जो मद्यून हवालातमें भेजाजाय मद्यूनके जिम्मै डाला जायगा ॥

उज़रदारीकुरकी

दफ़ा (६०) उज़रदारी कुरकीकी अर्जी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी और उसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहकके सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तो एक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीख़मुकर्ररकरे उसकी इत्तिलअ डिगरीदार मद्यून और उज़रदार को दीजावेगी और उसकी तहकीकात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज़रदार मुद्दई और फ़रीकैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क कियाहुआ माल या जायदाद मद्यूनकी नहींहैतो कुर्की उठादीजावेगी ॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज़रदार मुरतहिनको नीलामकेरूपयेमेंसे पहले गहनाभर कारूपया दिलाया जावेगा ॥

दफ़ा (६२) उज़रदारी साबित होजावेतो उज़रदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तिथार होगा कि फरी-क़ैनको बग़ैर बुलाने के दरख्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख़ मुक़र्रर करके दूसरे फरीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो जरूरत हो तो मुक़दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मामू-ली मुक़दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहकेनीचेकीअ-दालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैस-लेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे खासमेंजो अपीलहो उसकीमीआदफ़ैसलेकीतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़जूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (१०२) जो अदालत अपील अदालत मातहतके फ़ैसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अखीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकी इत्तिलाअ के लिये भेजदे ॥

दफ़ा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात या किसी शकभरी हुई बात या नई तनक़ीह की तहक़ीक़ातके लिये मुक़दमेको अदालत मातहतमें पीछा भेजसकी है ॥

दफ़ा (१०४) अदालत मातहत अदालत अपीलके हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमें हाज़िर होनेकी हिदायत करेगी ॥

दफ़ा (१०५) जो अदालत अपीलमें फ़रीक़ैन मुक़दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरर्वास्त करें या अदालत अपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़रर किये हुये पंचोंके मुक़दमा सिपुर्द किया जासकता है —

दफ़ा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहत के ख़ुर्चैकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी —
मुतफ़क़ात ॥

दफ़ा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फैसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वोअदालतमह-
बख्सेखासमें भेजाकरे जो कोई मुकदमा तीन महीने से
जियादह जूरतजबीजरहे तो जिसअदालतमेंऐसा मुकदमा
जाजेरतजबीजुहोवोउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरे॥

दफा (११३) जब किसी अदालत दीवानीसे जा-
गीरदारके झालकी कुर्की कीजावे तो उसमें अदालत
सज्जकरको महकमे खासकी मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफा (११४) जब मुकदमेकी तहकीकात होतेवक्त
कोईजाली कागज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहकी
हलफ़ दरोगी अदालतमेंसाबितहोतोअदालतको इस्ति-
थारहोगा कि जाली कागज़ पेश करनेवाले या हलफ़
दरोगी करनेवालेको अदालत फौजदारीके सिपुर्द करदे
और इसकी इतिलाअ महकमेखासमें करे ॥

दफा (११५) जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे
खाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफा (११६) बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस
नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस
की ज़मीन और नउसकेलेन देनेका दावा अदालत दी-
वानीमें करसकेगा— इति

(घ) अदालत सदरदीवानी—इसको यह इस्तिथार दिया गया है कि खास शाहपुरेके सारे मुकदमे दीवानी दसरूपयेसे ज़ियादेके और परगने फूलियाके सारे मुकदमे जो तहसीलदारों के इस्तिथारसे बाहिरके हैं तीन हजार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसीलदारोंके फ़ैसलेकी अपील भी यहही अदालत सुनेगी—और चंकि काछोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अदालतें इसकी मातहत समझी जाती हैं उनकी सम्हाल इसके सिपुर्दकी जाती है और मुकदमोंकी कार्रवाईकेलिये जो हिदायत जारी हों वोभी इस अदालतकी मारफ़त नीचेकी सब अदालतोंमें भेजी जायाकरें ॥

(च) महबमाखास—इस अदालतको इस्तिथार है कि परगने काछोला के पांचसौरूपयेसे ज़ियादाके और परगने फूलियाके तीनहजारसे ज़ियादाके सब मुकदमे दीवानी के सुनाकरे और काछोलाकी कचहरीके फ़ैसलोंकी जो अपील हों वो सब—और परगने फूलियामें अदालत सदरदीवानीके फ़ैसलेकी अपील यह अदालत सुने—और इस अदालतको यहभी इस्तिथार होगा कि अगर किसी ग़ैर इलाकेवाले का कोई मुकदमा या कोई ऐसा मुकदमा जो अदालत सदर दीवानीके सुनने के

मीआदसे खारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को यह इस्तिथार होताहै कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ताहै क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का खर्चा दूसरी दफे देना पड़ताहै इसलिये यह कायदा अब रद्दकिया जाताहै और जो डिगरी मीआद से खारिजहो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक्रहमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाकेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदालतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफा नालिश करसकता है ॥

दफा(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इस्तिथार के अंदर वो सब मुक्रहमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुकसान हकपरहो परंतु जो मुक्रहमे भलसन्नसाहत के बिपरीत बातों की बावत हों या जुयेंकी तो नहीं सुनेजायगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुखतारकी जो कोई हो--होनी चाहिये और उसमें नीचे लिखी हुई बातें भी लिखी जानी चाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलेह की निस्बत भी जहांतक मुमकिन वो मालूमहों येही बातें लिखी जानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना बसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मक़दमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हा और झगड़े की सूरत जो उस वक्तहो ॥

(५) जो दस्तावेजें और हिसाब की नक़ल अरज़ी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफ़र्दभी दाखिल होनी चाहियो ॥

दफ़ा (६) अरज़ीदावेकी तस्दीक़ इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तस्दीक़करताहूं किजो कुछ अरज़ी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ़ा (१०) अरज़ीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामजात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक्तभी साफलिखाजावे॥

दफ़ा (१४) सम्मन या कौफ़ियत या कागज़ जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहियें एक मुद्दाअल्लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्दाअल्लेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहियें ॥

दफ़ा (१५) जो बनेतोसम्मन मुद्दाअल्लेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्दाअल्लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिगनहो ॥

दफ़ा (१६) जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्दाअल्लेहरियासतमें मौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये छिपगया और ढूंढनेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअनामा ऐसीसीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़दमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्दाअल्लेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

रखास्तद्वे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीदरखास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदाखिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसेजियादा काहो तोएकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफा(२०)जोमुद्दई हाजिरहो और मुद्दआअलेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुकदमाएकतरफी फौसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसबातकोनिश्चय करले कि मुकदमे के सुननेकी तारीखकी इतिलाअमुद्दआअलेहको होगई अगरजरूरतहोतो ऐसी डिगरी मेंमदयूनके उजरातपरइजरायडिगरीमें गौरहोसकताहै ॥

दफा (२१) जो अदालत किसी कारणसे मुनासिब समझे तो मुकदमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुकर्रर करके मुद्दआअलेह को इतिलाअदेसकती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इतिलाअ देनी चाहिये ॥

दफा (२२) तारीख मुकर्ररह पर जब फरीकैन हाजिर होजावे तो अरजीदावा मुद्दआअलेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफनू पूंकाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इन्कार है या इकबाल जो इकबाल हों तो जियादह तहकीकात करनेकी जरूरत नहीं सिफ़ दो

इन्कारी मुशकिल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शख्स एक बात पेश करे और दूसरा उससे इनकार करे तो अब्बल शख्स पर कि जो फैसला कराना चाहे उस अब्बका साबित कर देना लाज़िम है ॥

दफ़ा (२७) अम्रतनूकीहतलब करार देने में अदालतको एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुकद्दमे के बरखिलाफ़ हो न होने पावे लेकिन ऐसा मौक़ा जरूर देना चाहिये कि जिससे मुकद्दमे की असलियत व हकीकत दरियाफ़्त करने में मदद मिले ॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक रखता है वो मुकद्दमा दायर होते ही शामिल मिसल हो जाना चाहिये फिर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लिया जावे और हर एक कागज़ पर जो मिसल में शामिल हो नम्बर और अनवान मुकद्दमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तख़त होने चाहिये ॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखी हुई दस्तावेज़ें बिना ख़ास हुक्म महक्म ख़ासके सम्मतमें न ली जावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुना जावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाज़िमी है और

दरजे के सबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-
आअलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अपसर के
मारफ़त बुलाये जायेंगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुके तो अदालत फ़रीक़ैन के पेशकिये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व शौर करने
के बाद मुक़दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैनकोइतिलाअ
देदे और जो फिर कोई बात दरियाफ़त तलब बाक़ीरह-
जावे तो उसके वास्ते दूसरी तारीख़ मुक़रर करदे ॥

दफ़ा(३४)जोअदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन
कीदरख्वास्त पर या विला उनकी दरख्वास्त के नीचे
लिखीहुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुक़रर करसक्ती है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्वत ख़ास या
आमतौर पर हिदायत करसक्ती है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकीराय हस्व म-शायअदालत लीजावे
या नहीं ॥

दफ़ा (३७) जो फ़रीक़ैन आपसमें फ़ैसलाकर के अदालतको इत्तिलानदें तो अदालतको इस्तिथारहोगा कि जिस फ़रीक़का कुसूरहो उसपर या दोनोंफ़रीक़पर पांच रुपये तक जुर्माना करसकी है ॥

दफ़ा (३८) जो फ़रीक़ैन चाहै कि मुक़दमा एक या ज़ियादह पंचों को फ़ैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फ़रीक़ैन से एक शख्स या हरएक फ़रीक़ से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरिघाफ़त करके उनसे इकरारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फ़ैसला करदें वो उनको मंज़ूरवो क़बूलहोगा ऐसा इकरारनामा दाख़िल होनेपर अदालत मुक़दमे को इकरारनामेमें लिखीहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक़ पंचोंकेसिपुर्दकरदे ॥

दफ़ा (३९) पंचोंका फ़ैसलाअदालत काफ़ैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफ़रीक़ैनको मंज़ूर करनापड़ेगा ॥

दफ़ा(४०)पंचोंका फ़ैसला अदालतमें दाख़िलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफ़रीक़ैन को इसवास्ते दीजावेगी किजाकिसीफ़रीक़को किसीपंचकीबेईमानीज़ाहिरवोसाबितकरनीहो तो उसमोहलतमेंकरदेजबवोमीआदपूरीहो जावेकैफ़ियतपंचोंकीमंज़ूरकरकेमुक़दमाफ़ैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हर एक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और ज़ात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुदई या मुदआअलेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हर एक मुदई मुदआअलेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज़ करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौक़े या फ़साद पैदा करनेवाले सवाल करने की इजाज़त हर गिज़नहीं दी जावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तख़त हाकिम और तारीख़ होनी चाहिये और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़दमा का इब्तिदाईहाल २—जो बातें तनूकी-ह तलब हों ३—तनूकीह तलब का नतीजा मयखुलासे बयान किसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरतहो ४—तजवीज़ अदालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहीं है कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखा जावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तख़त करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज़ हुई हो तो तारीख़ क्रिस्तों की और तादाद हरएक क्रिस्तके रूपयों की दर्जहोनी चाहिये—और तादाद ख़रचे हरएक मुद्दई मुद्दआअलेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़्सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख़रचा किससे वसूल कियाजावेगा ॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज़ ख़रचे की अदालतही करेगी ॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई ग़ैर इलाक़े का रहने वाला हो तो मुक़दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख़रचे मुद्दआअलेह की दाख़िल कराना ज़रूरहै ॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुद्दआअलेहको अख़ीर तजवीज़ से रूबरू इत्तिलाअदेनी चाहिये—और जो ज़रूरतसमझी जावे तो एक इत्तिलाअनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़तइत्तिलाअपाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें ॥

दफ़ा (५४) जब मुक़दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख़्वास्त किसी मुद्दई मुद्दआअलेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी काग़ज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख़ीर की इस शर्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुक़ररहै दाख़िल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुद्दआअलेह जमानत नदे तो जो जाय-
दाद मुद्दआअलेह की मुद्दई बतलावे वो अखीर हुक्म
होने तक कुर्रक करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फ़ैसले से पहलकी कुर्रकी में
मुद्दई मुद्दआअलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफिक इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके ज़िम्मे मुद्दआअलेह का रुपया
बाक़ी होना जाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-
जमूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन
हो वो रुपया मुद्दआअलेहको नदे ॥

दफा (५८) जो मुद्दई अदालतके सामने हलफ़नूब-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्दआअलेह
भागना चाहता है तो अदालत मुद्दआअलेहसे हाज़िर
जमानतमांगे और जो मुद्दआअलेह न दे तो मुक़द्दमा
फ़ैसल होने तक मुद्दआअलेह हवालात दीवानी में
रक्खा जावे ॥

दफा (५९) जो मुद्दआअलेह इसतरह हवालात में
रक्खाजावेगा उसकी खूराक मुद्दईसे ली जावेगी और
मुक़द्दमा फ़ैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रीक़ पर
रहैगा जिसके ज़िम्मे ख़रचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफ़ा (६४) जो मुक़दमा मुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से खारिज होजावे तो मुक़दमेका खरचा मुद्दईसे जिस-वक्त उसको हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबबसे मुक़दमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुक़रर्रा फ़ौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफ़ा(६५)इजराय डिगरीकी दरख्वास्त उसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्तमें दरख्वास्त देनेवालेको हकरसीकी सूरत साफ़ लिखनी होगी याने जो जायदाद वोक्कुर्क करना चाहताहै उसकी मुफ़रिसल फ़ेहरिस्त दाखिलकरे ॥

दफ़ा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की कुर्कीके मुवाफ़िक़ डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे ज़मानत मांग सकतीहै औरजोमद-यूनज़मानत दाखिल न करेतो कुर्कीजायदाद मनकूला

(१) खेतीके औज़ार-यादूसरे औज़ार जिनसे मदयून कमा कर खाता है—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाज और जो अदालत मुनासिब समझे कि हकीकत में करसे के पास खानेकोन था और दूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरकी से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनरूवाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनरूवाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके वक्त हतकके सिवाय मजहबी रसममेंभी फ़तूर प्रड़ताहै इसलिये ऐसे मौके पर फ़सलेसे पहिलेकी कुरकी या इजराय डिगरीमें कुरकी न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२) जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर कब्ज़ा दिला दिया जावेगा और जो रहननाममें नक़दरुपया वसूलहोनेकी शर्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक़रसीकराई जायगी

दफा (७६) कुलजायदाद गैरमन्कूलाकी क्रीमतका तख्मिनातय्यारकियाजावेगा औरजोतरूमिनेकेमुवाफिक क्रीमत नीलाम में नलगे तोजायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी जरूरतहो तो तीसरीदफे उस वक्त जो आदमी ज़्यादाह क्रीमत लगावे उसके नामपर बोली खतम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकीआखीर बोलीहो उससेनीलाम की चौथान उसीवक्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिआद दीजायगी जो इस मिआद में मदयून डिगरी का रुपया अदा करदे तो नीलाम रद करदिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकतरी रुपयेके हिसाबसे लिया जाताहै मदयून को देनापड़ेगा और खरीदार नीलाम ने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफा (७८) इस मिआद के गुज़रने के बाद खरीदार नीलामको सार्टीफिकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका कब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरेउज़रदार का

तादाद डिगरी

जो डिगरी ५०) से ज्यादाहनहो

जो डिगरी १००) से ज्यादाहनहो

जो डिगरी २००) से ज्यादाहनहो

दूसरे मुकदमों में

तादाद हवालात

एक महीना

तीनमहीने

चारमहीने

छः महीने

जिसवक्त डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद ≡) आने रोजसे ज्यादाह न हो अदालतकी तजवीज़ के मुवाफिक एक महीने की खुराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५०) से ज्यादाह की हो तो मुद्दईको खुराक के दाम फिर भर देने चाहिये नहीं तो मिआद पूरी होने पर मदयून छोड़ दिया जावेगा ॥

दफा (८३) जब वारंटके साथ मदयून जेलखानेमें भेजा जावे तो उसमें कैदकी मिआद लिख देनी चाहिये और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका काम नहीं लिया जावेगा ॥

दफा (८४) मदयून उसी डिगरी के वास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजा जायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक़रसी की मालकी

दफ़ा (८६) खरचा इजराय डिगरी और खुराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिम्म डाला जायगा ॥

उज़रदारीकुरकी

दफ़ा (६०) उज़रदारी कुरकीकी अर्ज़ी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी और उसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहकके सबबसे दररूवास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दररूवास्त बे बुनियाद मालूम नहो तोएक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीख़मुकर्ररकरे उसकी इत्तिलअ डिगरीदार मदयून औरउज़रदार को दीजावेगी और उसकी तहकीकात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज़रदार मुद्दई और फ़रीकैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यहसाबित होजावे कि कुर्क कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनकी नहींहैतो कुर्की उठादीजावेगी ॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज़रदार के पास गहने है तो उज़रदार मुरतहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा ॥

दफ़ा (६२) उज़रदारी साबित होजावेतोउज़रदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजुहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तिथार होगा कि फ़री-क़ैनको बग़ैर बुलाने के दर्ख़्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफीवजह हो तो तारीख़ मुक़रर करके दूसरे फ़रीक़ को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक़दमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मासू-ली मुक़दमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहकेनीचेकीअ-दालतका अपील ऊपरकी अदालत में दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैस-लेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे सहक्ममे खासमेंजो अपीलहो उसकीमाआदफ़ैसलेकोतारीख़ या इत्तिलाअपानेकी तारीख़से दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक़ल लेनेमें गुज़रें वो माआदमें नहीं गिनेजायंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्ज़ीमेंफ़जूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुक़दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख़ कि जिसका अपील हो

दफ़ा (१०२) जो अदालत अपील अदालत मातहतके फ़ैसलेको रदकरे या घटावे बढ़ावे तो अख़ीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक़ल अदालत मातहतकी इतिलाअ के लिये भेजदे ॥

दफ़ा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील ज़ियादहतहक़ीक़ात या किसी शकभरी हुई बात या नई तनक़ीह की तहक़ीक़ातके लिये मुक़दमेको अदालत मातहतमें पीछा भेजसक्ती है ॥

दफ़ा (१०४) अदालत मातहत अदालत अपीलके हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलको वापिस भेजदेगी और फ़रीक़ैनको फिर अदालत अपीलमें हाज़िरहोनेकी हिदायत करेगी ॥

दफ़ा (१०५) जो अदालत अपीलमें फ़रीक़ैन मुक़दमा पंचों के सिपुर्द करने की दरखास्त करें या अदालत अपील इस बातको मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैनके मुक़दमा सिपुर्द किये हुये पंचोंके मुक़दमा सिपुर्द किया जासक्ता है—

दफ़ा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहत के ख़र्चेकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—

मुतफ़क़ात ॥

दफ़ा (१०७) फ़रीक़ैन अपने आप या ऐसे वकील

फौसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वोअदालतमह-
कमेखासमें भेजाकरे जो कोई मुकदमा तीन महीने से
ज़ियादह ज़ेरतजबीज़रहे तो जिसअदालतमेंऐसा मुकद
माज़ेरतजबीज़होवोउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरे॥

दफ़ा (११३) जब किसी अदालत दीवानीसे जा-
गीरदारके मालकी कुर्की कीजावे तो उसमें अदालत
मज़कूरको महकमे खासकी मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफ़ा (११४) जब मुकदमेकी तहकीकात होतेवक्त
कोईजाली कागज़ पेशहो या किसी फ़रीक़ या गवाहकी
हलफ़ दरोगी अदालतमेंसाबितहोतोअदालतको इख़्त-
यारहोगा कि जाली कागज़ पेश करनेवाले या हलफ़
दरोगी करनेवालेको अदालत फौजदारीके सिपुर्द करदे
और इसकी इतिलाअ महकमेखासमें करे ॥

दफ़ा(११५)जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे
खाससे सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफ़ा (११६)बग़ैर ऐसे सार्टीफ़िकटके कोई वारिस
नराजसेकोई रुपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस
की ज़मीन और नउसकेलेन देनका दावा अदालत दी-
वानीमें करसकेगा— इति



दफ़ा (२)-महक़मे ख़ास को इख़तियार होगा कि जिस ओहदेदार सरकारी को मुनासिब समझे तहसीलातमें अफ़सर रजिस्टरी मुक़रर करदे और ऐसा ओहदेदार सब रजिस्टरार कहलावेगा ॥

दफ़ा (३)-महक़मे ख़ास वो हर सब रजिस्टरार के दफ़तर में एक मोहर रजिस्टरी की अलग रहेगी ॥

दफ़ा (४)-महक़मे ख़ासको इख़तियारात जनरल रजिस्टरार के हासिल रहेंगे और जिस क़दर हिदायत जारी हो वो महक़मे मौसूफ़से हुआ करेगी ॥

दफ़ा (५)-सब रजिस्टरार वो उनके इख़तियारात नीचे लिखे मुवाफ़िक़ मुक़रर कियेजातेहैं और आयंदा घटाने बढ़ाने का इख़तियार महक़मे ख़ासको है ॥

नाम सब रजिस्टरार
तहसीलदार फूलिया

इख़तियारात
सौरूपये की दस्ता
वेज़ तककी रजिस्ट
री करसक्ताहै ॥

तहसील दारढीकोला

तथा तथा

तहसीलदारसांगरियावोकोठिया

तथा तथा ...

तहसीलदारधनोपवोकनेछण

तथा तथा ...

तहसीलदार आमली

तथा तथा

क़ाबिला करलिया जावे और जिस वक्त दीजावे लेने-वालेके दस्तख़त करलिये जावें और रजिस्टरी के रजस्टर हर वर्ष बदलेजावें और पुराने रजस्टर सब रजिस्टरारों के दफ़्तर से जनरल रजिस्टरारके दफ़्तर में आजाने चाहिये ॥

दफ़ा (१०)—जिस किसी जगह दस्तावेज़ मशकूक याने कोई लफ़्ज़ काटा वा बिगड़ा हुआ हो तो नक़ल में दिखला दिया जावे—और उस दस्तावेज़के ऐसी जगह पर रजिस्टरारके दस्तख़तभी होना चाहिये ॥

दफ़ा (११)—जिस वक्त दस्तावेज़ रजिस्टरी के वास्ते पेशहो उसकी पुश्तपर तारीख़ वो वक्त पेशी का और नाम पेशकरनेवाले का दर्ज होना चाहिये ॥

दफ़ा (१२) जिसवक्त दस्तावेज़ ओहदेदार रजिस्टरीके पासपेशहो चाहे उसकी रजिस्टरी—इख़्तियारी हो—या लाज़िमी—वो आदमी या कई आदमी जिनकी तरफ़से दस्तावेज़ लिखीगई हो या उसके या उन के क़ायम मुक़ाम जायज़ या मुख़तार मजाज़ ओहदेदार रजिस्टरी करने वालेके रूबरू हाज़िरहोने चाहिये उस वक्त ओहदेदार रजिस्टरी को मुआफ़िक़ लिखे नीचे के काररवाई करना चाहिये ॥

कि जिनको ओहदेदार रजिस्टरी जानताहै पहिचान लिया फिरइसके बादपुस्त दस्तावेज़पर—तादाद फ़ीस व नम्बर सफ़े रजिस्टर कि जिसमें उस दस्तावेज़ की नक़ल की गईहोसाफ़ दरजहोना चाहिये ॥

दफ़ा (१४)— हरएक दस्तावेज़की किजोरजिस्टरी के वास्तेपेशहोना लाज़िम है दस्तावेज़ के लिखे जानेको तारीख़से दोमहीनेके अंदर रजिस्टरी होना चाहिये जो अंदर इस मिआद के दस्तावेज़ किसीसबब से पेशनहो— और उसके बादफिरछा महीनेके अन्दर पेशहो तो ओहदेदार रजिस्टरी उसकी रजिस्टरी करदेगा परंतुइस पिछली सूरतमेंफ़ीस रजिस्टरी की हूनी लीजावेगी और जो कोई वजह माक़ूल पेशहोतो तावान नलिया जावेगा ॥

दफ़ा (१५)— जो दस्तावेज़ लिखनेवालाउसको पेशनकरे तो जिसके हक़में वो दस्तावेज़ लिखीगईहै वह पेशकरनेका इख़्तियार रखताहै और जो वो मामूली तलबाना दाख़िल करदेतो दस्तावेज़ लिखने वाला या लिखने वालेजैसी कि सूरतहो बुलाकरके काररवाई रजिस्टरी कीजायगी ॥

होती है इसलिये नीचे लिखी हुई सूचियों में उनका इन्त-
क़ाल हो सकता है और रज़िस्टरी भी की जा सकती है ॥

(१) जबकि एक ही ख़ानदान में कि जिसके मूरिसको
असल में ज़मीन डोहली या माफ़ी में दी गई हो एक आद-
मी दूसरे के हाथ अपना हिस्सा रहन भी गलाऊ या बै करे-

(२) — जबकि किसी आम फ़ायदे के कामके लिये
डोहली या माफ़ी की ज़मीन ख़रीदकी जावे या रहन रक्खी
जावे तो भी जायज़ तसव्वर की जायगी बशर्ते कि मज़-
हबका लिहाज भी उसमें रहै याने हिन्दूकी ज़मीन किसी
मुसलमानके हाथ मसजिद वग़ैरहके फ़ायदेके लिये बैया
रहननकी जावेगी औरन इसीतरह मुसलमान की ज़मीन
हिन्दूके हाथ ॥

(३) — डोहली या माफ़ी की ज़मीन मक़ूल हो
सकती है या बरस कटीमें रहन हो सकती है बशर्ते कि
डोहलीया या माफ़ीदार उसको किसीऐसी बड़ी ज़रूरत
के वक्त करे कि जिससे ख़ानदानको बट्टा लगे या मज़ह-
बी ज़रूरी काम करनेमें फ़तर पड़ता हो परंतु इसमें यह
शरत हमेशह समझी जावेगी कि जिसवक्त उस ज़मीन
से गिरवीसे दूना रुपया मुनाफ़े से मुरतहिनको वसूल
होजावे उस वक्त गिरवी रखने वालेया उसकी औलाद

दफ़ा (२२) जिन दस्तावेज़ात की रजिस्टरी होनी ला-
ज़िम है वो नीचे लिखी जाती हैं ॥

(१) रहननामा वो कि फ़ालतनामा वो दस्तावेज़
बरसकटी बाबत जायदाद ग़ैर मन्कूला ॥

(२)—बैनामा बाबत जायदाद ग़ैर मन्कूला ॥

(३)—हिबहनामा चाहे जायदाद मन्कूला काहो
या ग़ैर मन्कूलाका ॥

(४) मुखतार नामात्राम ॥

(५) दस्तावेज़ ठेका जो पांच सालसे जायदके वास्ते
किसी रय्यत की तरफ़से हो ॥

(६) फारखती ॥

(७)—तबनियत नामा याने गोदका काग़ज़ ॥

(८) तक़सीमनामा बाबत जायदाद मन्कूला या ग़ै
र मन्कूला ॥

दफ़ा (२३) यहाँ रजिस्टरी के क़ायदे सम्बत १९३०
से जारी हैं इसलिये सम्बत १९३० या उसके बाद
की दस्तावेज़ बिना रजिस्टरी ऐसी पेश हो कि जिसकी
रजिस्टरी लाज़िमी थी तौ उसकी निम्बत काररवाई
बमूजिव दफ़ा (२४) की जावेगी ॥

दफ़ा (२४) जिन दस्तावेज़ात की रजिस्टरी इन

जमोमा नम्बर ४ फ्रीसदस्तावेज़रजिस्टरी ॥

किस्मदस्तावेज़	जो तांदादनीचे लिखी से ज़ियादहहो	जोतादादनीचे लिखीसे ज़ियादहनहो	तादादफ्रीस रजिस्टरी
रेहन नामा बा.कि.			
फ़ालतनामा बाव.			
त जायदाद गैर			
मन्कूला			
	+	२५)	।)
	२५)	५०)	॥)
	५०)	७५)	॥॥)
	७५)	१००)	१)
	१००)	१२५)	१।)
	१२५)	१५०)	१।।)
	१५०)	१७५)	१।।।)
	१७५)	२००)	२)
	२००)	२२५)	२।)
	२२५)	२५०)	२।।)
	२५०)	२७५)	२।।।)
	२७५)	३००)	३)
	३००)	३२५)	३।)
	३२५)	३५०)	३।।)
	३५०)	३७५)	३।।।)
	३७५)	४००)	४)
	४००)	४२५)	४।)
	४२५)	४५०)	४।।)
	४५०)	४७५)	४।।।)
	४७५)	५००)	५)

क्रिस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियादहहो	जोतादादनीचे लिखीसे ज़ियादह नहो	तादादफ़ास रजिस्टरी
	२००)	६२५)	१६१)
	६२५)	६५०)	१७१)
	६५०)	६७५)	१८१)
	६७५)	७००)	२०)
	७००)	७२५)	२१)
	७२५)	७५०)	२२)
	७५०)	७७५)	२३)
	७७५)	८००)	२५)
	८००)	८२५)	२७)
	८२५)	८५०)	३०)
	८५०)	८७५)	३२)
	८७५)	९००)	३५)
	९००)	९२५)	३७)
	९२५)	९५०)	४०)
	९५०)	९७५)	४२)
	९७५)	१०००)	४५)
			४७)
			५०)

आयंदाफ़ीसैकड़ याउसकेहिस्सेपर

दशहज़ारतक

दशहज़ारसेज़ियाद
हकीदस्तावेज़मेंफ़ी

५)

कोई उज़र उस जायदाद की निस्बत नहीं सुनाजायगा मगर नम्बरी दावा उसका होसका है ॥

दफ़ा (७६) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खेती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के वक्त नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज़ाहिर कर-देनी होगी कि जो हक़राजका उस जायदादमें है वो बदस्तूर बनारहेगा और उसका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक़ैन के आपसमें फ़ैसला हो-जावे तो इजराय़डिगरी की कार्रवाई फ़ौरन बंद कर दी जायगी और मुक़दमा रजिस्टर से ख़ारिज करके दाख़िल दफ़तर किया जावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मदयूनको हवालात में भेजने की दरख़वास्त पेशकरे तो उसकी मंजूरी महक़मे खाससे लेनी होगी और यह मंजूरी उसी हालत में दी जावेगी कि जब यह साबित किया जावे कि मदयून अपनी जायदाद को छिपाना चाहता है या डिगरीका रुपया इरादतन देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख़वास्त मंज़ूर होनेकी हालतमें मदयून नोचे लिखी हुई शरहके मुवाफ़िक़ हवालात में रहसका है ॥

कुर्कीके जरियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पच्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसक्ती है ॥

दफा (८५) मदयूनके मरजानेसे उसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेंगे —

दफा (८६) जो डिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूरजारी रहेगी बशर्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके अन्दर दरख्वास्त कायम मुक़ामी पेशकरदे जो ऐसी दरख्वास्त पेशनहो तो मुक़दमा इजराय डिगरी खारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारीकरासक्ता है ॥

दफा (८७) चूंकि इजरायमें सिर्फ असली हुक्म डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नया फ़ैसला करने केलिये मुक़दमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सक्ता ॥

दफा (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख्वास्त कु-रकीमालया जायदाद की जावेतोतलबाना उसीशरहसे लियाजायगाकि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का खर्चा जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो खर्चा फरीक सानी उजुरदारसे दिलाया जावेगा ॥

नज़रसानी फ़ैसला

दफ़ा (६३) अदालत दरूवास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसक्ती है बशर्ते कि अपील उस तजवीज़का दायर न हुआहो और वो दरूवास्त फ़ैसले को तारीखसे तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इसतरहपर हो ॥

(१) कोई नया सुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुक़दमे की तहकीकात के वक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे ॥

(२) जो कोई बड़ी बेज़ाब्तगी हुईहो या मुक़दमेकी असली बातोंके समझनेमें ग़लती होनेकेसबबसे फ़ैसले में रिआयत होगई हो ॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दरूवास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे ॥

ऐसी दरूवास्त सिर्फ़ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिस ने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवाला हाकिम नहीं ॥

लिखनी चाहिये और यह भी कि इतने फ़ैसले में उज़ुर हैं अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहिये और एक उज़ुर दुबारा नहीं लिखना चाहिये और जहाँ तक हो सके वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्ज़ी के साथ उस अख़ीर फ़ैसले या हुक्म की नक़ल पेश करनी चाहिये जिस का अपील किया जाय ॥

दफ़ा (६६) जिस मुक़दमे में नज़रसानी हो जाय वसूरात नामंजूरी नज़रसानी के असली फ़ैसले का अपील न हो सकेगा और जो नज़रसानी मंज़ूर हुई हो तो दूसरे फ़रीक़ को इस्तिथार हासिल होगा और अपील की मोआद नज़रसानी के फ़ैसले की तारीख़ से गिनी जायेगी —

दफ़ा (१००) दख़्वास्त अपील बग़ैर देखने मिसल अदालत मातहत के ख़ारिजन की जावेगी परंतु जो अपील की वजूहात काफ़ी न हों तो बग़ैर बुलाने फ़रीक़ैन मुक़दमा के अपील दारख़िलदफ़तर किया जा सकता है ॥

दफ़ा (१०१) जो अपील की वजूहात मुनासिब मालूम हों तो उसके सुनने के लिये एक दिन मुक़रर किया जायेगा और जाब्ते के मुवाफ़िक़ उसकी इत्तिलाअ फ़रीक़ैन को दी जावेगी और फ़रीक़ैन के उज़रात और वजूहात पर ग़ौर किया जावेगा ॥

की मारफत हाज़िर अदालत होसकेहैं जिसको पूरा इ-
ख्तियार दियागयाहो—

दफ़ा (१०८) हरएक मुखतार उस अदालत के
अफसर का मातहत रहेगा जहां वो बकालत करता है
और उन कायदोंकापाबंदहोगा जो समय २ पर उसअ-
दालतसेजारीहों ॥

दफ़ा (१०९) किसी नाबालिग या पागलकी तरफ
से या उनपर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो
किसी मुकदमे में ऐसा फरीकहे तो उसके करीब रिश्ते
दार या बली को उसमुकदमेकी जवाबदहीकेलियेजरूर
उसके शामिल रखना चाहिये—

दफ़ा (११०) जो कर्ज़ लेनेवालेका कोई ज़ामि-
नहो तो मुद्दईको इख्तियारहोगा कि वो दोनोंपर दावा
करे और जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहै
एकसे रुपया वसूल करे या दोनों से ॥

दफ़ा (१११) जो किसी मुकदमे में कईमुद्दाअल्लेहहोंतो
डिगरीदारको इख्तियारहोगा किचाहे सबसेअपनारुपया
वसूलकरे या किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) कौतवाल वो तहसीलदार हरमही-
ने एक नक़शा उनमुकदमोंका जो उनके यहां दायर वो

जाबतेदीवानी

रियासत शाहपुरा

मुरतिबे

बाबूरामजीवन कामदार रियासतशाहपुरा
हस्तबुलहुकम वो मंजूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंह जी साहब
रईस शाहपुरा

लखनऊ

मुंशीनवलकिशोर के छांपेखाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

जाबतेदीवानीरियासतशाहपुरा



दफा (१) इस रियासतमें दरजे हाथ अदालत नीचेलिखे मुवाफिक हैं और उनके इस्तिथारात हरएक के सामने लिखदिये गयेहैं ॥

(क) अदालत कीतवाली—इसको यह इस्तिथार दियागयाहै कि खास शाहपुरे के सारे मुकदमे जिनमें दावा दस रुपये से ज़ियादा नहो सुनाकरे ॥

(ख) अदालत तहसीलदारान्—इनको यहइस्तिथार दियागयाहै कि अपने अपने हलक़ेमें दीवानीके सारेमुकदमे जिनमें दावा सौ रुपयेसे ज़ियादाका न हो सुनाकरें ॥

(ग) अदालत हाकिमकाछोला—इसको इस्तिथार दिया गयाहै कि अपनेहलक़ेकेसारेदीवानीकेमुकदमे और वो मुकदमे कि जिनमें मुद्दई मेवाड़ या गैरइलाक़े का हो और जिनमें दावा पांचसौ रुपये से ज़ियादे का न हो सुनाकरे ॥

लायकहो इस अदालत में पेशहोजाये तो उसको सुन कर फैसला करदे और ऊपरलिखी हुई सब अदालतों की सम्हाल इसके जिम्मे होगी और मुकदमे की कार्रवाईके लिये जो हिदायतें जारीहों वो यहांसे या इस अदालतकी मंजूरीसे हुआ करेंगी ॥

दफ़ा (२) इस रियासतमें दीवानीके मुकदमे तीन सूरतों में सुने जासकतेहैं ॥

(१) जबकि लेनदेन इलाक़े शाहपुरेकाहो या दावेकी बुनियाद इस रियासत के इलाक़ेमें पैदाहुई हो ॥

(२) जब कि मुद्दाअल्लेहकी कोई जायदाद ग़ैर मन्कूला या उगाही इस इलाक़े में हो ॥

(३) जबकि मुद्दाअल्लेहरोटीपैदा करनेकेलिये रहता हो और इस इलाक़े में नौकरी वा ब्योपार करताहो ॥

दफ़ा (३) जोमुकदमा एकदफ़े सुना जाकर फैसल होचुका वो उसी बुनियाद पर दूसरी दफ़े नहीं सुना जायगा मगर जो किसी अदालत ने पहले मुद्देकीदूसरीदफ़े दावालगानेकी परवानगीदेदीहो तो यह दफ़े उसको न रोकेंगी ॥

(नोट) इसरियासतमें अब तक यह कायदा जारी है कि जो तीन बरसतक कोई डिगरी जारी नहो तो वो

दियागयाहो तो नहीं सुनाजायगा दूसरे रिवाजत के पोलिटिकल कार्रवाईमें भी अदालत दीवानी हाथ नहीं डालसकी जैसे जो कोई जागीर ज़ब्त करलीजाय या बदलदीजाय तो उसका दावा दीवानीमें नहीं होसक्ता तीसरे जो मुकदमे मालकी कचहरीसे फैसलहोनेचाहियें वो दीवानी में नहीं सुनेजायगे ॥

दफ़ा (५) मुद्दईको इस्तिथारहै कि अपने दावेका कुछ हिस्सा छोड़दे परंतु ऐसे छोड़े हुये हिस्से की फिर नालिश नहीं सुनी जायगी ॥

दफ़ा (६) जो किसी करजे में किश्तेबंधगईहों तो मुद्दई को इस्तिथार है कि चाहे अपने सारे रुपये का दावा दस्तावेज़ की शर्त मुवाफ़िककरे या केवल चढ़ी हुई किश्तोंका इस पिछलीसूरतमें जो किश्ते पीछेसेचढ़ें उनके दावे को दफे (३) नहीं रोकेंगी ॥

दफ़ा (७) जो दावा इस्टामके कागज़पर मुद्दई या उसके पूरा इस्तिथार रखनेवाले मुखतार की तरफ़ से ऐसी अदालतमें जो उसदावेके सुनने का इस्तिथार रखती हो नीचेलिखी हुई सूरतोंमें पेश किया जाये तो उसकी कार्रवाईशुरू की जावेगी ॥

दफ़ा (८) अरज़ीदावेपर दस्तख़त और तस्दीक

बयान लिखना मुनासिबहोतोलिखले परंतु जो अरज़ी दावेकी तसदीककीगई हो और उसमें सारी बातें लिखी हुईहोंतो शायद मुद्दई का बयान लिखनेको ज़रूरतनहीं होगी और ऐसोहालत में पहले सरिश्तेसे रिपोर्टमांगी जायेकि इस्टाम और अरज़ी दावेमें लिखीहुई सारीबातें ठीकहैं या नहीं ॥

दफ़ा (११) जो अरज़ीदावा ठीकहो और उसमें नालिशकी बुनियाद पक्कीपाईजावे तो मुक़द्दमे के सुनने के लिये एकदिन मुक़र्रर कियाजावे और वो गवाहजिनके नाममुद्दई लिखावे सम्मनया जाबतेका कागज़जारी करके बुलायेजावें ॥

दफ़ा (१२) जो मुद्दआअलेह बड़े दरजेका आदमी हो तो कैफ़ियत या कागज़ भेजकर बुलाया जावे नहींतो सम्मनभेजाजावे और अरज़ीदावेकी एक नक़ल उसको सम्मन के साथदीजावे जो मुद्दआअलेह एकसे ज़िधादा होंतो हरएकके नाम सम्मन और अरज़ीदावेकी नक़ल अलग रजानीचाहिये ॥

दफ़ा (१३) सम्मन या कैफ़ियत या कागज़मेंअदालतका नाम और मुक़द्दमे का अनवान साफ़ लिखना चाहिये और मुद्दआअलेह या गवाहका जैसीकिसूरतहो

चाहिये कि मुद्दाअल्लेहको इत्तिलाअ होगई और फिर मुकद्दमेको ऐसीहालतमें एकतरफीफैसलकरदियाजावे।

दफा (१७) जो मुद्दाअल्लेह मौजूदनहो और उसका ठीकपता भी मुद्दई न बतासके और उसके घरमें कोई मर्दभी न मिले तो ऐसी सूरतमें भी सम्मन उसकेघरपर चिपका दियाजावे परंतु ऐसेसम्मनमें हाज़िरीकी मीआद एकमहीनेसे कम नहो ॥

दफा (१८) किसी सूरतमें कोई परदे वाली औरत या ऐसा सरदारजिसको अदालतकी हाज़िरीमाफ हो चुकी हो जबरदस्तीसे अदालतमें नहीं बुलाया जायगा ॥

दफा (१९) जो दिन और वक्त मुकद्दमेके सुननेकेलिये मुकर्रर कियागयाहो उसपर मुद्दई हाज़िर नहो और केवल मुद्दाअल्लेह अपने आप या उसका वकील हाज़िरहो तो मुद्दई का दावा खारिजकरदिया जावेगा परंतु जो मुद्दाअल्लेह या उसका मुख्तार मुद्दई के दावेको कबूल करे और हासियेके गवाह मुद्दाअल्लेहको पहिचाने तो मुद्दईको डिगरी करदीजायगा और जो ऊपरलिखेमुवाफिक मुकद्दमा खारिज होजाय तो केवल उस हालतमें सुना जायगा कि मुद्दई अपनी गैर हाज़िरीका वाजबी सबब बतलावे और मुकद्दमा फिर नम्बरपर कायम करने की दर-

गवाहइसबातके लेकरकि हकीकत में मुद्दाअल्लेह वोही है जो अदालत के रूबरू पेशहुआ है अदालत फ़सला और डिगरी लिखदे ॥

दफ़ा (२३) जो मुद्दाअल्लेह मुद्दई के दावेसे इन्कारकरे तो अदालत को चाहिये कि फ़रीक़ेन मौजूदा या उनके मुख्तारों से या जो कागज़ मिसलमें शामिल होचुके हों उनसे ऐसी तहकीक़ात करे कि जिससे अदालतको साफ़ मालूम होजाय कि क्या क्या बात दरियाफ़्त करने के लायक़ है ॥

दफ़ा (२४) जब यह कार्रवाई पूरी होजावे तो अम्रतनूक़ीह तलब लिखदिये जावें और उनको एकएक नक़ल फ़रीक़ेन या उनके मुख्तारों को देदीजावे या उनको हिदायत करदीजावे कि वो अपना आप नक़ल करलें ॥

दफ़ा (२५) जब एक अम्र वाक़ई एक फ़रीक़ की तरफ़ से पेशहो और दूसरा फ़रीक़ उससे इन्कार करे तो अम्रतनूक़ीहतलब पैदाहोता है ॥

दफ़ा (२६) अदालत को तजवीज़ करना चाहिये कि किस अम्रतनूक़ीहतलब का सबूत किस फ़रीक़ के जिम्मेहै और यह भी लिहाज़ रखना चाहिये कि अम्र

नहुइ हो बशर्ते कि वो दस्तावेज संवत् १६३० से पहले की नहो—

(२) जिस तमस्सुक को पुश्तपर अलावह वसूल बाक़ी कोई नया इकरार या इबारत बै या इत्तिकाल लिखीहो—

दफ़ा (३०) अम्रतनूकीहतलब मुकरर करने के बाद उनका सबूत पेशकरने के लिये एक तारीख मुकरर होनी चाहिये और फ़रीक़ैन को हिदायत होजानी चाहिये कि सबूत में जो गवाह लिखें उनके निस्बत अपने अपने जवाब में साफ़ लिखदें कि उन गवाहोंको वो अपने आप हाज़िर करेंगे या अदालत की मारफ़त तलबकराना चाहेंगे ॥

दफ़ा (३१) जो फ़रीक़ैन अपने गवाह अदालतकी मारफ़त तलबकरावें तो फ़रीक़ैन के जवाब पेशहोनेपर जाबतेके मुवाफ़िक़ सम्मन उन क़वायद के मुवाफ़िक़जो ऊपर लिखेगये हैं जारी कियेजावें ॥

दफ़ा (३२) जो गवाहोंको अदालतमें हाज़िरहोने से इन्कार हो या इत्तिलाअपाई करनेके बाद हाज़िर नहों तो जबरन बुलाये जासक्ते हैं याने वारंटजारी कर के अलावा उन के कि परदे के सबबसे या अपने जाता

(३) मौक़ेकी तहक़ीक़ात के लिये या किसी और बातके लिये जो अदालत मुनासिब समझे ॥

दफ़ा (३५) मुद्दआअलेह या गवाह या कमीशन के बुलाने के लिये जो किसी फ़रीक़ की दरख्वास्त से मुक़र्रर किया गया हो या अदालतकी रायसे नीचे लिखे मुवाफ़िक़ तलबाना फ़ी आदमी उस फ़रीक़ से लिया जावेगा-कि जिसकी दरख्वास्त पर वो आदमी बुलाया जावे ॥

दशरुपये तकके दावेमें दो आने

दशसे ज़ियादह ५०) तकके दावे में ।)

पचास से ज़ियादह १००) तकके दावेमें ।=)

सौ से ज़ियादह १०००) तकके दावेमें ॥)

हज़ारसे ज़ियादह ३०००) तकके दावेमें ॥।)

तीनहज़ार से ज़ियादह के दावेमें १)

यही शरह तलबानेकी हालमें जारीहै और बदस्तूर रक्खी जावेगी ॥

दफ़ा (३६) जब कि मुक़दमेकी तहक़ीक़ात होरही हो मुद्दई मुद्दआअलेह आपस में फ़ैसला करलें और राज़ीनामा दाख़िल करदें तो मुक़दमा फ़ौरन्खतमकर-देना चाहिये ॥

चाहिये और जो मुद्दईका हक साबित हुआहो तोउसे कैफियत के मुवाफिक अदालत डिगरी सादिरकरदे ॥

दफा (४१) जो एक पंच उन मुकर्ररकिये हुये पंचों मेंसे पंचहोने से इन्कार करे या पंचायत की कार्रवाई नहींकरे तो अदालत दूसरा पंच उसकी जगह फरीकैन की मरज़ी से मुकर्रर करसकीहै जो अखीर में यह मा-लूमहोवे कि पंच कुछ राय नहीं देसकेहैं तो अदालतको इशतियारहोगा कि हुक्म पंचोंके मुकर्रर करनेका मन-सूख करदे और मिसलकी रूयदाद पर मुकदमा फौस-ल और तजवीज़ करदे ॥

दफा (४२) जब पंचोंके मुकर्रर करनेका हुक्मदिया जावे तो जिन २ बातोंकी तजवीज़ होनाज़रूरहै साफ़ २ लिखकर पंचोंको देदीजावें ॥

दफा (४३) गवाहोंके इज़हार हलफ़ से होनेचा-हिये और जो मुद्दई मुद्दआअलेहके बयान लिखेजावें वो भी हलफ़ से होनाचाहिये ॥

दफा (४४) जो कोई गवाह या मुद्दई या मुद्दआ-अलेह हलफ़ से इज़हार देनेसे इन्कारकरे तो उसपर जुर्म मुवाफिक़ दफा १७६ ताज़ीरातहिन्दके कायमकर के सिपुर्द अदालत फौजदारी कियाजावेगा ॥

बीज़ करने वाले को किसीतरह का इख्तियार फ़ैसले में घटाने या बढ़ाने या बदलने का नहोगा जबतक कि दरख्वास्त नज़रसानी की पेश होकर ज़ाबते की कार्रवाई नहीं कीजावे ॥

दफा (४६) जो कोई मुक़दमा किसी करसेपर हो तो—चूँकि अक्सर बोहरे सूदकाटावग़ैरह से असामीको बहुत ज़ेरवार करतेहैं और करसे से एकमुश्त रुपये का अदाहोना मुश्किल होताहै इसलिये हाकिम अदालत पहले मुद्दआअलेहकी हैसियतका हाल अपने तौर पर या तहसीलदार को मारफ़त दरियाफ़्त करले उसके बाद डिगरी में मुद्दआअलेह की हैसियत के मुवाफ़िक़ नक़द किरतें और भरना तजवीज़ करदे—और जो भरना तजवीज़ कियाजावे उसमें यह भी ज़रूर लिखदेना चाहिये कि भरना रुपये में कितने आनेका होगा और उसकी कीमत किसतरह से तजवीज़ की जावेगी—और जो मुद्दआअलेह महाजन या कोई और ज़ातका हो तो अदालत जैसे मुनासिब समझे तजवीज़ करे ॥

दफा (५०) तजवीज़ करने के बाद डिगरी लिखी जावे और डिगरी में तादाद रुपये डिगरी और यह भी कि किसतरह पर फ़ैसला कियागया दर्ज कियाजावे—

दफा (५५) चूंकि बरसात में करसोंको बहुत काम रहताहै और उनके बार बार बुलाने में खेती का बड़ा हर्ज होताहै- इसलिये १५ जनसे १५ अक्टूबर तक करसोंके मुकदमे नहीं सुनेजायेंगे और जो इस अरसे में किसी दावे की मीआद पूरीहोजाये तो यह दिन मीआद में नहीं गिनेजायेंगे और जो दावा १६ अक्टूबर को पेश होजावे वो अन्दर मीआद समझा जावेगा अलबत्ता जो ऐसा दावा उस तारीख को पेश नहो तो उसकी मीआद बाकी न रहेगी ॥

(तशरीह) करसा वोही समझा जायगा कि जिसके सिवाय खेतीके और कोई पेशा नहो ॥

कुर्की या गिरपतारी फौसले से पहिले—

दफा (५६) नालिश दायर होनेसे पीछे और फौसलेसे पहिले जो मुद्दई तहरीरी दरख्वास्त पेश करके यह जाहिर करे कि मुद्दआअलेह हकरसीमें देरकरने या अदाय रुपये में हर्ज डालनेकी नीयतसे अपना माल अलग करता है तो मुद्दई के यहबात हलफनू जाहिर करने और दो गवाह पेशकरने पर अदालत मुद्दआअलेह से जमानत इसबातकी लेले कि जो मुद्दई की डिगरी होजाय तो जामिन उस डिगरी का रुपया अदा

नालिश बसीगै मुफ़लिसी

दफ़ा (६०) जोकोई आदमी ऐसा गरीबहो कि फ़ीस मुक़रर्रा अदा न करसके तो वोनालिश या अपील सादे कागज़पर करसक्ताहै ॥

दफ़ा (६१) ऐसा दावा करनेवालेको लाज़िम होगा किपहले अपनी दरख्वास्त अदालत मजाज़ या महकमे खासमेंपेशकरे और मुफ़लिसीका सबूत और उसजायदाद की फ़ेहरिस्तभी दाख़िलकरे जोवा रखताहो—

दफ़ा (६२) जो तहक़ीक़ात करने के बाद अदालत कीराय में यह बात साबित होजावे कि हक़ीक़त में उस आदमी के पास इसक़िस्मकी जायदाद नहींहैकि जिस से मुक़दमे का ख़रचा अदा कर सके तोउसको मुफ़लिसी में नालिशदायर करने की परवानगी दीजावेगी ॥

दफ़ा (६३) ऐसी परवानगी हासिल करने पर उस शख़्सको सादे कागज़ पर जाब्तेके मुवाफ़िक़ अर्ज़ी दावा पेश करने का इख़तियार होगा और ऐसा अर्ज़ी दावा पेशहोने पर वोही कार्रवाई कीजायगी जो दूसरे दावोंमें कीजाती है मगर इसका ख़र्चा मुक़दमा फ़ैसल होनेके बाद जोडिगरीहोतो मुदआअलेहसे बसूल किया जावेगा या जोडिगरीमें ख़रचा जिम्मेमुदई रहे तो ज़र

वगैरमन्कला भी कर सकती है लेकिन इजरायडिगरीकी बाकीकार्रवाई अपीलकी मिआद गुज़रनेके बाद होगी और जो अपील दायर होजावे तो फौसले अपीलके बाद जोज़रूरतहो—

दफ़ा(६७) जब इजरायडिगरीकी दरख्वास्त अदालतमें पेश हो तो रजिस्टरमें चढ़ानेके बाद अलग नम्बर पर यह मुकदमा कायम किया जायगा ॥

दफ़ा (६८) जो डिगरी एक सालके भीतर जारी होती इजराय डिगरीकी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जायगी नहीं तो मद्यन को पंद्रह दिन का इतिलअनामा दिया जायगा और इतिलअनामे की मिआद गुज़रनेके पीछे कार्रवाई इजराय की जावेगी ॥

दफ़ा (६९) जो कोई डिगरी बराबर तीन साल-तक जारी न हो तो तीन बरस पूरे होनेके बाद वो डिगरी खरिज समझी जावेगी सिवाय उससूरतके कि जिसका जिक्र दफ़ा (३) के नोटमें किया गया है ॥

दफ़ा(७०) डिगरी दारको इख्तियार है कि मद्यन की जायदाद मन्कला वो गैर मन्कला की कुरकी की दर-ख्वास्त पेश करे लेकिन नीचे लिखी हुई चीज़ें कुर्क नहीं हो सकती हैं—

और डिगरी का रुपया देने के बाद जो कुछ बाकी रहेगा वो मदनको दिया जावेगा ॥

दफा (७३) जो डिगरी में जायदाद मन्कूला कुर्क हो तो कुरकी के वक्त उसका सुपर्दनामा किसी तीसरे आदमी से लिखा जावे या जो कोई सुपर्दनामा न देतो कुर्क की हुई चीज डिगरीदार के सुपर्द कर कर उससे सुपर्दनामा लिखा जावे और उसमें पंद्रह दिन का इश्तहार दिया जावे ताकि जिस किसी को उसकी निम्बत उज्र ही अपनी उज्रदारी उस मिआदमें पेश करदे ॥

दफा (७४) जो जायदाद गैर मन्कूला कुर्क हो तो एक महीने का इश्तहार जारी किया जावेगा और एक नकल उस इश्तहार की कुर्क की हुई जायदाद पर चिपकाई जावे जो किसी को उस जायदाद के निम्बत कुछ उज्र होतो उस मिआदमें उज्रदारी पेश करदे ॥

दफा (७५) ऊपर लिखी हुई मिआद गुजरने पर जो माल मन्कूला हो तो वो नीलाम किया जावेगा और जो जायदाद गैर मन्कूला होतो पंद्रह दिन का इतिलअनामा मदनको फिर दिया जावेगा और जो उस मिआदमें भी वो डिगरी का रुपया अदान करे तो कुर्क की हुई जायदाद नीलाम की जावेगी ॥

कोई उज़र उस जायदाद की निस्बत नहीं सुनाजायगा मगर नम्बरी दावा उसका होसक्ता है ॥

दफ़ा (७६) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खेती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के वक्त नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज़ाहिर करदेनी होगी कि जो हक़राजका उसजायदादमें है वोबदस्तूर बनारहेगा और उसका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक़ेन के आपसमें फ़ैसला होजावे तो इजरायडिगरी को कार्रवाई फ़ौरन बंदकरदी जायगी और मुक़द्दमा रजिस्टर से ख़ारिजकरके दाख़िल दफ़तर कियाजावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मदयूनको हवालात में भेजने की दरख़वास्त पेशकरे तो उसकी मंजूरी महक़मे खाससे लेनीहोगी और यह मंजूरी उसी हालत में दी जावेगी कि जब यह साबित कियाजावे कि मदयून अपनी जायदाद को छिपाना चाहता है या डिगरीका रुपया इरादतन् देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख़वास्त मंज़ूरहोनेकी हालतमें मदयून नीचेलिखी हुई शरहके मुवाफ़िक़ हवालात में रहसक्ता है ॥

कुर्कीके ज़रियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पच्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसक्ती है ॥

दफ़ा (८५) मदयूनके मरजानेसे उसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेंगे —

दफ़ा (८६) जो डिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूर जारी रहेगी बशर्ते कि उसका वारिस पंद्रह दिनके अंदर दरख्वास्त कायम मुक़ामी पेशकरदे जो ऐसी दरख्वास्त पेशनहो तो मुक़दमा इजराय डिगरी खारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारी करासक्ता है ॥

दफ़ा (८७) चूंकि इजरायमें सिर्फ़ असली हुक्म डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नया फ़ैसला करने केलिये मुक़दमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सक्ता ॥

दफ़ा (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख्वास्त कुर्कीमालया जायदाद की जावेतो तलबाना उसीशरहसे लियाजायगा कि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का खर्चा जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो खर्चा फ़रीक़ सानी उज़ुरदारसे दिलाया जावेगा ॥

नज़रसानीफ़ैसला

दफ़ा (६३) अदालत दरख्वास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसक्ती है बशर्ते कि अपील उस तजवीज़का दायर न हुआहो और वो दरख्वास्त फ़ैसले की तारीख़से तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इसतरहपर हो ॥

(१) कोईनयासुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुक़द्दमे की तहकीकात के वक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे ॥

(२) जोकोई बड़ी बेज़ाब्तगीहुईहो या मुक़द्दमेकी असली बातोंके समझनेमें ग़लती होनेकेसबबसे फ़ैसले में रिआयत होगई हो ॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दरख्वास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे ॥

ऐसीदरख्वास्त सिर्फ़ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिस ने पहिले हुक्मदियाहो उसकी जगह आनेवालाहाकिम नहीं ॥

लिखनी चाहिये और ग्रहभी कि इतने फ़ैसलेमें उज़ुरहें अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहिये और एक उज़ुर दुबारा नहीं लिखना चाहिये और जहां तक हो सके वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्ज़ी के साथ उस अख़ीर फ़ैसले या हुक्मकी नक़ल पेश करनी चाहिये जिस का अपील किया जाय ॥

दफ़ा (६६) जिस मुक़दमे में नज़रसानी हो जाय बसूरत नामंजूरी नज़रसानी के असली फ़ैसले का अपील न हो सकेगा और जो नज़रसानी मंज़ूर हुई हो तो दूसरे फ़रीक़ को इस्तिथार हासिल होगा और अपील की मीआदनज़रसानी के फ़ैसले की तारीख़ से गिनी जायेगी —

दफ़ा (१००) दख़्बास्त अपील बग़ैर देखने मिसल अदालत मातहत के ख़ारिजन की जावेगी परंतु जो अपील की वजूहात काफ़ी न हों तो बग़ैर बुलाने फ़रीक़ैन मुक़दमा के अपील दाख़िलदफ़तर किया जा सकता है ॥

दफ़ा (१०१) जो अपील की वजूहात मुनासिब मालूम हों तो उसके सुनने के लिये एक दिन मुक़रर किया जायेगा और जाबतेके मुवाफ़िक़ उसकी इतिलाअ फ़रीक़ैन को दी जावेगी और फ़रीक़ैन के उज़रात और वजूहात पर ग़ौर किया जावेगा ॥

की मारफत हाज़िर अदालत होसकेहैं जिसको पूरा इ-
ख्तियार दियागयाहो—

दफ़ा (१०८) हरएक मुखतार उस अदालत के
अफसर का मातहत रहेगा जहां वो वकालत करता है
और उन कायदोंकापाबंदहोगा जो समय २ पर उसअ-
दालतसेजारीहों ॥

दफ़ा (१०९) किसी नाबालिग या पागलकी तरफ
से या उनपर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो
किसी मुकदमे में ऐसा फरीक़हो तो उसके करीब रिश्ते
दार या वली को उसमुकदमेकी जवाबदहीकेलियेज़रूर
उसके शामिल रखना चाहिये—

दफ़ा (११०) जो कर्ज़ लेनेवालेका कोई ज़ामि-
नहो तो मुद्दईको इख्तियारहोगा कि वो दोनोंपर दावा
करे और जोडिगरीहोजाय तो उनमें से जिससे चाहै
एकसे रुपया वसूल करे या दोनों से ॥

दफ़ा(१११)जो किसी मुकदमे में कईमुद्दआअलेहहोंतो
डिगरीदारको इख्तियारहोगा किचाहे सबसेअपनारुपया
वसूलकरे या किसीएकसेजिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) कोतवाल वो तहसीलदार हरमही-
ने एक नक़शा उनमुकदमोंका जो उनके यहां दायर वो

काननरजिस्टरी ॥

रियासतशाहपुरा

मुरतिबे

बाबूरामजीवन कामदार रियासत शाहपुरा
हस्बुल हुकम वो मंजूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंहजी साहब रईस शाहपुरा

लखनऊ

मुंशोनवलकिशोर के छापेखाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

कवायदरजिहरी रियासतशाहपुरा



दफा (१)—नीचे लिखे हुए लफ्जोंके यह माने समझे जायगे ॥

(१)—जायदाद मन्कूला में नक़द रूपया और वो सब चीज़ें शामिल हैं जिनको उनकी असली हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके ॥

(२)—जायदाद ग़ैर मन्कूला से वो जायदाद मुराद है जो एक जगह से दूसरी जगह उसकी असली हालत में न उठ सके या न ले जासके जैसे ज़मीन मकान या खड़ी हुई शाख ॥

(३)—हिबहनामा वो दस्तावेज़ है जिसकी रूसे कोई शख्स अपना माल वो जायदाद मन्कूला या ग़ैर मन्कूला कि जिसके देनेका उसको पूरा इख्तियार हो किसी शख्स को देदे ॥

(४)—तब नियतनामा-उस दस्तावेज़ को कहते हैं कि जिसकी रूसे कोई आदमी किसी दूसरेका लड़का गोदले याने अपना लड़का बनाले ॥

दफ़ा (६)—जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी किसी तहसीलमें होनी चाहिये वो महक़मे ख़ासमें रजिस्टरीके लिये पेशकी जावे तो उसकी रजिस्टरी महक़मे ख़ाससे करदी जायगी मगर फ़ीस दुबन्द ली जायगी ॥

दफ़ा (७)—जिन दस्तावेज़ों का जिक्र ऊपर लिखा गया उनके सिवाय जो दस्तावेज़ात रजिस्टरी के लिये पेशहों उनकी रजिस्टरी महक़मे ख़ास में की जायगी ॥

दफ़ा (८)—महक़मे ख़ास वो दफ़तर सब रजिस्टरार में नीचे लिखे मुवाफ़िक़ रजिस्टर रक्खे जायंगे ॥

(१)—रजिस्टर वास्तै नक़ल उन दस्तावेज़ातके कि जो रजिस्टरी के लिये पेशहों ॥

(२)—रजिस्टर जिसमें रोज़मर्राकी आमदनी दिखलाई जाय इसमें फ़रीक़ैनके नाम किस्म दस्तावेज़तादाद मुंदर्जे दस्तावेज़ और तादाद फ़ीस भी लिखी जायाकरे ॥

दफ़ा (९)—ऊपर लिखेहुए रजिस्टर किसी जगह से छीले या काटे नहीं जाने चाहिये और नक़लसाफ़ और अच्छे हरफ़ों में लिखी जानी चाहिये हरदस्तावेज़ की नक़ल के नीचे दस्तख़त ओहदेदार रजिस्टरीके होने चाहिये और रोज़ाना आमदनी पर भी ओहदेदार मौसूफ़ के दस्तख़त होने चाहिये और दस्तावेज़का मु-

(१)—ओहदेदार रजिस्टरी को लाज़िम होगा कि पहले तहकीकात इसबातकी करे कि वो दस्तावेज़ इन्हीं आदमियों की तरफ से लिखी गई है कि जिनकी तरफ से तकमील पाना मज़मूनसे पाया जावे ॥

(२)—इतमीनान बाबत पहिचानने उन आदमियों के जो उसके रूबरू हाज़िर हों—और यह बयान करें कि दस्तावेज़ मज़कूर उनकी लिखी या लिखाई हुई है ॥

(३)—जिसहालत में कि कोई आदमी क़ायम मुक़ामया मुखतार किसीका हाज़िर होतो इसबातका इतमीनान करले कि वो आदमी हाज़िर होनेका इख्तियार रखता है ॥

(४)—जबइन सबबातोंका इतमीनान होजावे और हाज़िर आयेहुए आदमी लिखने दस्तावेज़ वोपाने रुपये का इक़रार करे— तोओहदेदार रजिस्टरीको लाज़िम है कि रजिस्टरी करदे—

दफ़ा (१३)—पुस्तदस्तावेज़ पर यह बातें दर्ज होनी चाहियें— कि दस्तावेज़ लिखने वालेने—लिखने दस्तावेज़— वोपाने ज़र समन—से रूबरू ओहदेदार रजिस्टरी के इक़रार किया— और ओहदेदार रजिस्टरी उसको बज़ात खुद जानता है या फ़लाने फ़लाने गवाहोंने

रजिस्टरी करनेसे इन्कार करनेके सबब ॥

दफ़ा (१६)—जो दस्तावेज़ लिखनेवाला या लिखने वालों में से एक शख्स लिखने दस्तावेज़ वो पानेरुपये से इन्कार करे और उसका वाजिबी सबब बतलावे तो रजिस्टरी नकीजावेगी ॥

दफ़ा (१७)— जो रजिस्टरी के वास्ते कोई हुकम अखीर या डिगरी पेशहोतो अपीलकी मिअ़ाद गुज़र तक उसकी रजिस्टरी नकीजावेगी ॥

दफ़ा (१८)— जो ओहदेदार रजिस्टरी को यह मालूम होजावे कि जिस जायदाद के बाबत रजिस्टरी कराई जाती है वो पहिले बज़रिये रहन या बै किसी दूसरे के हाथ मुन्तक़िल हो चुकी है तो रजिस्टरीसे इन्कार किया जायगा ॥

दफ़ा (१९)— जो इनके सिवाय और कोई ख़ास सबब ओहदेदार रजिस्टरीको इन्कार करनेका मालूम होतो भी रजिस्टरी करनेसे इन्कार करसक्ता है ॥

दफ़ा (२०) चूँकि डोहली वो मुआफ़ीकी ज़मीन ख़ास गरज़के साथ दी जाती है और उनके इन्तक़ाल से देने वालेकी असली गरज़ जाती रहती है इसलिये उनका रहन भोग लाऊ या बै होना मुनासिब नहीं है परंतु चूँकि इसमें डोहली और माफ़ीदारों को कुछ सख़्ती मालूम

को इख्तियारहोगा कि चौथाई रुपया नकददेकर बाकी रुपयेकी वाजिबी क्रिस्ते मुकर्रर करदे और ज़मीनपर अपना कब्ज़ा करले ॥

(४)— मुआफ़ी दो क्रिस्मकी होती है— एक सिर्फ़ इनाम या ख़ैरातके तौरपर कि जिसके एवज़ कोई चाकरी नहीं ली जाती— दूसरी जिसके एवज़में कोई चाकरी मुकर्ररहो इस पिछली सूरतमें जो राजकी चाकरी में कोई फ़तूर पड़े तो राजको इख्तियार होगा कि ज़मीन को ज़ब्त करले और उसहालतमें मुरतहिनका कोई उज़्र काबिल लिहाज़ के न होगा सिवाय इसके कि उसके करज़ेका बोझ गिरवी रखनेवाले कीज़ातपर समझा जावे ॥ इसलिये डोहलीया माफ़ीकी ज़मीनकी बाबत जो कोई दस्तावेज़ रजिस्टरी केलिये पेशहो तो उसकी रजिस्टरी करने से पहिले इन सब बातोंपर लिहाज़ करना ज़रूर होगा और जो कोई इनमें से बात हारिज हो तो रजिस्टरी न की जायगी ॥

दफ़ा (२१) जो कोई जायदाद जिसकी बाबत रजिस्टरी कराई जावे पहिलेसे वाजिबी तौरपर बज़रिये रहन या बैकिसीके हाथ मुन्तक़िल हो चुकी हो तो हालकी रजिस्टरीका असर पहिले की काररवाई पर कुछ न होगा ॥

क्रवायदरजिस्टरी ।

क्रायदों के मुबाफिक लाज़िमी है वो बिला रजिस्टरी की हुई किसी अदालत में किसी मुकदमे में गवाही में न ली जायगी और न उसकी बुनियाद पर कोई दावा सुना जायगा ॥

दफा (२५) ऊपर लिखी हुई दस्तावेज़के सिवाय जो दस्तावेज़ बाबत माल या जायदाद मन्कूला हो उसकी रजिस्टरी इस्तिथारी है ॥

क्रिस्मदस्तावेज	जो तादादनीचे लिखीसे जि.या-दह हो	जोतादाद नीचे लिखीसे जि.यादह नहो	तादाद फीस रजिस्टरी
	५००)	५५०)	५॥)
	५५०)	६००)	६)
	६००)	६५०)	६॥)
	६५०)	७००)	७)
	७००)	७५०)	७॥)
	७५०)	८००)	८)
	८००)	८५०)	८॥)
	८५०)	९००)	९)
	९००)	९५०)	९॥)
	९५०)	१०००)	१०)

अब आयन्दा हरसैक डेयाउसके हिस्से पर १)

२-बैनामा

+		
	२५)	१॥)
२५)	५०)	२॥)
५०)	७५)	३॥)
७५)	१००)	५)
१००)	१२५)	६॥)
१२५)	१५०)	७॥)
१५०)	१७५)	८॥)
१७५)	२००)	१०)
२००)	२२५)	११॥)
२२५)	२५०)	१२॥)
२५०)	२७५)	१३॥)
२७५)	३००)	१५)

क्रिस्मदस्तावेज	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियादह हो	जो तादादनीचे लिखीसे ज़ियादहनहो	तादादफ़ीस रजिस्टरी
सैकड़े या उस के हिस्सेपर बीसहज़ार तक			३)

और बीस हज़ारसे ज़ियादह फ़ी सैकड़े या उसके हिस्सेपर— २)

३-हिवहनामाजायदाद मन्कूला या ग़ैर मन्कूला			बशरह बैनामा
४-दस्तावेज ठेका जो पांचसालसे ज़ियादहके लिये रज़य्यत की तरफ़ सेहो			बशरह रेहननामा
५-फ़ारिग़खती	०	०	२)
६-तबनीयतनामा	०	०	२)
७-तकसीमनामा जायदाद मन्कूला या ग़ैरमन्कूला	०	०	२)
८-मुख्तारनामा आम	०	०	१)

